न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज)

पीठासीन अधिकारी :– **श्री सुनील कुमार-I, (RAS)**

राजस्व वाद संख्या :– **187/2022 GCMS 2022/375**

वादीगण :–

1. भोमाराम पुत्र अमराराम जाति खटीक निवासी ग्राम कुकनवाली तहसील कुचामन सिटी

प्रतिवादीगण :–

1. टीकमचंद पुत्र अमराराम
2. शिवप्रसाद पुत्र अमराराम
   समस्त जाति खटीक निवासीयान ग्राम कुकनवाली तहसील कुचामन सिटी
3. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामन सिटी

दावा–बाबत् इस्तकरार हक, रिकॉर्ड शुद्धि बाबत् अन्तर्गत धारा 88 राजस्थांन काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता वादीगण की ओर से
श्री भीकमचंद अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की ओर

–:निर्णय :–

दिनांकः– 18/12/2024

वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 एक ही परिवार के सदस्य है एवं स्व. अमरारामजी के वारीसान वंशज है जिनका सजरा खानदान इस प्रकार है:–

अमराराम पुत्र खड़गाराम

भोमाराम | टीकमचंद | शिवप्रसाद | मानमल

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:06:29 IST
Reason: Self Attested

ग्राम कुकनवाली तहसील कुचामन ... के सरहद में कृषि भूमि खसरा नंबर 664 रकबा 0.32 है. खसरा नंबर 665 रकबा ... खसरा नंबर 666 रकबा 0.17 है. खसरा नंबर 667 रकबा 0.17 है. खसरा नंबर 668 रकबा 0.13 है. कुल रकबा 2.10 है. भूमि स्थित चली आ रही है। उपरोक्त भूमि में अमराराम पुत्र भोमाराम 34/315

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

हिस्सा यानी 0.2266 है. टीकमचंद पुत्र अमराराम 34/315 हिस्सा यानी 0.2266 है. व शिवप्रसाद पुत्र अमराराम 34/315 हिस्सा यानी 0.2266 है. यानी 0.6800 है. भूमि सहखातेदारी की दर्ज चली आ रही है जबकि उपरोक्त कृषि भूमि में 0.66 है. भूमि खरीद के समय अमराराम पुत्र खड़गाराम 1/4 हिस्सा यानी 0.17 है. भोमाराम पुत्र अमराराम 1/4 हिस्सा यानी 0.17 है. टीकमचंद पुत्र अमराराम 1/4 हिस्सा यानी 0.17 है. व शिवप्रसाद पुत्र अमराराम जाति खटीक 1/4 हिस्सा यानी 0.17 है. भूमि जरिये विक्रय पत्र द्वारा खरीद की गई है, जबकि खतौनी में अमराराम पुत्र भोमाराम, टीकमचंद शिवप्रसाद पुत्र अमराराम अंकन हो गया है जो कि गलत है। उपरोक्त भूमि में रिकॉर्ड में त्रुटि से अमराराम पुत्र भोमाराम दर्ज हो गया जबकि अमराराम के पिताजी का नाम खड़गाराम है भोमाराम, अमराराम का बंट है राजस्व रिकॉर्ड में पृविष्टी गलत दर्ज हो गयी इस प्रकार उपरोक्त भूमि में 0.68 है. भूमि में से 1/4 हिस्सा अमराराम पुत्र खड़गाराम 1/4 हिस्सा भोमाराम पुत्र अमराराम व 1/4 हिस्सा टीकमचंद पुत्र अमराराम 1/4 हिस्सा शिवप्रसाद पुत्र अमराराम दर्ज होना चाहिए। उपरोक्त भूमि में राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती कर अमराराम पुत्र भोमाराम के 34/315 हिस्सा यानी 0.2266 है. के स्थान पर अमराराम पुत्र खड़गाराम 0.17 है. व भोमाराम पुत्र अमराराम 0.17 है. टीकमचंद पुत्र अमराराम 0.17 है. शिवप्रसाद पुत्र अमराराम 0.17 है. भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाने का वादी हकदार है इसलिए यह वाद पत्र लाया जाना आवश्यक हुआ है। बिनाय हाल ही पटवारी हल्का में रिकॉर्ड दुरूस्ती बाबत् कहा तो उन्होंने ऐसा न्यायालय आदेश से ही किया जा सकता है ऐसा कहने पर आज बमुकाम कुचामन सिटी में पैदा हुआ। ग्राम कुकनवाली तहसील कुचामन सिटी के सरहद में कृषि भूमि खसरा नंबर 664 रकबा 0.32 है. खसरा नंबर 665 रकबा 1.3 है. खसरा नंबर 666 रकबा 0.17 है. खसरा नंबर 667 रकबा 0.17 है. खसरा नंबर 668 रकबा 0.13 है. कुल रकबा 2.10 है. भूमि स्थित चली आ रही है। उपरोक्त भूमि में अमराराम पुत्र भोमाराम 34/315 हिस्सा यानी 0.2266 है. के स्थान पर अमराराम पुत्र खड़गाराम जाति खटीक [हि]स्सा [0.1]7 है. व वादी सं.1 भोमाराम पुत्र अमराराम जाति खटीक 0.17 है. व प्रतिवादी [सं. 1 टीक]मचंद पुत्र अमराराम 0.17 है. व प्रतिवादी सं. 2 शिवप्रसाद पुत्र अमराराम [ज]ाति खटीक 0.17 है. के काबिज

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:06:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी डीडवाना-कुचामन
सत्यमेव जयते

खातेदार कृषक घोषित किया जाकर इस आशय कि खातेदारी अधिकारों व रिकॉर्ड दुरूस्ती कि डिक्री सादिर फरमाई जावें।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 03 का सम्मन तामिल होकर प्राप्त बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र का पैरा सं. 1 सही एवं स्वीकार है तथा इस वादी प्रतिवादीगण स्व. श्री अमराराम के वारीसान है। ग्राम कुकनवाली तहसील कुचामन सिटी के सरहद में कृषि भूमि खसरा नंबर 664 रकबा 0.32 है. खसरा नंबर 665 रकबा 1.3 है. खसरा नंबर 666 रकबा 0.17 है. खसरा नंबर 667 रकबा 0.17 है. खसरा नंबर 668 रकबा 0.13 है. कुल रकबा 2.10 है. भूमि में टीकमचंद पुत्र अमराराम 34/315 हिस्सा यानी 0.2266 है. व शिवप्रसाद पुत्र अमराराम 34/315 हिस्सा यानी 0.2266 है. यानी 0.6800 है. दर्ज चली आ रही है जबकि उपरोक्त भूमि 0.68 है. भूमि हमारे पिता अमराराम पुत्र खड़गाराम के 1/4 हिस्सा व भोमाराम पुत्र अमराराम का 1/4 हिस्सा व टिकमचंद पुत्र अमराराम 1/4 व शिवप्रसाद पुत्र अमराराम का 1/4 हिस्से की भूमि खरीद की गई थी, तथा मुझ वादी के पिता का नाम खातेदारी में अमराराम पुत्र भोमाराम दर्ज हो गया कि जो कि गलत है, हमारे पिता का सही नाम अमराराम पुत्र खड़गाराम है।

ग्राम कुकनवाली तहसील कुचामन सिटी की सरहद में कृषि भूमि खसरा नंबर 664 रकबा 0.32 है. खसरा नंबर 665 रकबा 1.3 है. खसरा नंबर 666 रकबा 0.17 है. खसरा नंबर 667 रकबा 0.17 है. खसरा नंबर 668 रकबा 0.13 है. कुल रकबा 2.10 है. में से खातेदार अमराराम पुत्र भोमाराम हिस्सा 34/315 रकबा 0.2266 है. के स्थान पर अमराराम पुत्र खड़गारम जाति खटीक हिस्सा 0.17 है. व वादी सं. 1 भोमाराम पुत्र अमराराम जाति खटीक 0.17 है. व प्रतिवादी सं. 2 शिवप्रसाद पुत्र अमराराम जाति खटीक 0.17 है. के का[illegible]दार कृषक घोषित किया जाकर इस आशय कि खातेदारी अधिकारों व रिकॉर्ड दुरूस्ती कि डिक्री सादिर फरमाई जावे। जवाब शामिल मिसल किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:06:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचा...)
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

वकील वादी व वकील प्रतिवादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने बहस के दौरान वाद पत्र में अंकित तथ्यों व वकील प्रतिवादी ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। ग्राम कुकनवाली तहसील कुचामन सिटी की सरहद में कृषि भूमि खसरा नंबर 664 रकबा 0.32 हैक्टयर, खसरा नंबर 665 रकबा 1.3 हैक्टयर खसरा नंबर 666 रकबा 0.17 हैक्टयर, खसरा नंबर 667 रकबा 0.17 हैक्टयर, खसरा नंबर 668 रकबा 0.13 हैक्टयर कुल रकबा 2.10 हैक्टयर में से खातेदार अमराराम पुत्र भोमाराम हिस्सा 34/315 रकबा 0.2266 हैक्टयर के स्थान पर अमराराम पुत्र खड़गारम जाति खटीक हिस्सा 0.17 हैक्टयर व वादी सं. 1 भोमाराम पुत्र अमराराम जाति खटीक 0.17 हैक्टयर व प्रतिवादी सं. 2 शिवप्रसाद पुत्र अमराराम जाति खटीक 0.17 हैक्टयर के काबिज खातेदार कृषक घोषित किया जाना उचित प्रतीत होने से वाद पत्र स्वीकार किया जाता है।

–:आदेश :–

ग्राम कुकनवाली तहसील कुचामन सिटी की सरहद में कृषि भूमि खसरा नंबर 664 रकबा 0.32 हैक्टयर, खसरा नंबर 665 रकबा 1.3 हैक्टयर खसरा नंबर 666 रकबा 0.17 हैक्टयर, खसरा नंबर 667 रकबा 0.17 हैक्टयर, खसरा नंबर 668 रकबा 0.13 हैक्टयर कुल रकबा 2.10 हैक्टयर में से खातेदार अमराराम पुत्र भोमाराम हिस्सा 34/315 रकबा 0.2266 हैक्टयर के स्थान पर अमराराम पुत्र खड़गारम जाति खटीक हिस्सा 0.17 हैक्टयर व वादी सं. 1 भोमाराम पुत्र अमराराम जाति खटीक 0.17 हैक्टयर व प्रतिवादी सं. 2 शिवप्रसाद पुत्र अमराराम जाति खटीक 0.17 हैक्टयर के काबिज खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार कुचामन सिटी आदेश की पालना कर रिपोर्ट पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 18/12/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:06:29 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार I.RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)